

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय:-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

कमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति मरवाही जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है -

क.	पद का नाम	पदों की संख्या	सविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता अर्थशास्त्र (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	व्याख्याता कृषि (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

20	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	शिक्षक (हिन्दी माध्यम)	3	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
24	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
25	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
26	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
27	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
28	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
29	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
30	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
31	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
32	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2		कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरवाही जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति मरवाही जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय::--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश ::--

79

दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसाली, भिलाई जिला दुर्ग का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति रिसाली भिलाई जिला दुर्ग को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क.	पद का नाम	पदों की संख्या	सविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	--	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	व्याख्याता भौतिक(अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	6	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	शिक्षक (हिन्दी माध्यम)	3	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन


६५

21	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
24	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
25	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
26	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
27	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
28	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
29	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
30	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2		कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए.आर.खान)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त सांगागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालकालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा सांगाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसाली भिलाई जिला दुर्ग एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति रिसाली भिलाई जिला दुर्ग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

-::मंत्रालय::-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

eg.school.edu.dept@gmail.com

-:: आदेश ::-

नवा रायपुर दिनांक 17/08/2020

कमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगपुरा, दुर्ग, जिला दुर्ग का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति नगपुरा, दुर्ग, जिला दुर्ग को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति नगपुरा, दुर्ग जिला दुर्ग को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है -

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता राजनीति/इतिहास शास्त्र (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	व्याख्याता भौतिक(अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	शिक्षक (हिन्दी माध्यम)	3	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

22	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
24	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
25	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
26	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
27	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
28	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
29	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
30	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2		कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन

नवा रायपुर दिनांक 17/08/2020

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शारान मंत्रालय रायपुर।
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगपुरा दुर्ग जिला दुर्ग एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति नगपुरा दुर्ग जिला दुर्ग। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय:-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

कमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेमरपारा, धमधा, जिला दुर्ग का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति तेमरपारा, धमधा, जिला दुर्ग को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति तेमरपारा, धमधा, जिला दुर्ग को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है -

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	व्याख्याता भौतिक(अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

18	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
24	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
25	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
26	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संगामायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. रागस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संगाम एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तमेरपारा धमधा जिला दुर्ग एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति तमेरपारा धमधा जिला दुर्ग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय::--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश ::--

नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-28/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरी, दुर्ग जिला दुर्ग का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति बोरी, दुर्ग, जिला दुर्ग को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति बोरी दुर्ग जिला दुर्ग को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है --

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1		प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता इतिहास (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता राजनीति शास्त्र (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	व्याख्याता भूगोल (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	शिक्षक (हिन्दी माध्यम)	3	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

ay

23	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
24	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
25	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
26	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
27	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
28	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
29	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
30	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
31	दौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
32	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2		कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23--08/2020/20--तीन

नवा रायपुर दिनांक 17/08/2020

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागयुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरी दुर्ग जिला दुर्ग एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति बोरी दुर्ग जिला दुर्ग। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय::--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg_school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश ::--

नवा रायपुर, दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवकर, जिला-बेमेतरा का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति देवकर, जिला-बेमेतरा को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति देवकर, जिला-बेमेतरा को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है -

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता राजनीति शास्त्र (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता भूगोल/अर्थशास्त्र (हिन्दी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन


22	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
24	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
25	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
26	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
27	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
28	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
29	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(ए.आश्वान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,


स्कूल शिक्षा विभाग

नवा रायपुर दिनांक 17/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय रायपुर।
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर छ.ग.।
7. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़।
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवकर जिला बेमेतरा एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति देवकर जिला बेमेतरा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय:-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाई स्कूल बरतुंगा, चिरमिरी, जिला-कोरिया का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति चिरमिरी, जिला-कोरिया को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति चिरमिरी, जिला-कोरिया को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

// 2 //

19	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन रायपुर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकरनगर रायपुर।
7. समस्त कलेक्टर.....छ0ग0।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0।
9. शासकीय हाई स्कूल बरतुंगा, चिरमिरी, जिला-कोरिया एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति चिरमिरी, जिला-कोरिया।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय:--

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदीबाजार, वि०खं. पाली, जिला-कोरबा का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति पाली, जिला-कोरबा को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति पाली, जिला-कोरबा को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक(अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
18	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

20	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2		कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन रायपुर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकरनगर रायपुर।
7. समस्त कलेक्टर.....छ0ग0।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0।
9. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदीबाजार जिला कोरबा एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति पाली, जिला-कोरबा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय:-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) मॉडल स्कूल सेमरा, कुसमी, जिला-बलरामपुर का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति कुसमी, जिला बलरामपुर को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति कुसमी, जिला-बलरामपुर को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक(अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	6	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन


निरंतर...

18	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए.आर.खान)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन रायपुर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकरनगर रायपुर।
7. समस्त कलेक्टर.....छ0ग0।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0।
9. उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) मॉडल स्कूल सेमरा, कुसमी, जिला-बलरामपुर एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति कुसमी, जिला बलरामपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

--:मंत्रालय:-

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

cg.school.edu.dept@gmail.com

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली, जिला-कोरबा का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय समिति पाली, जिला-कोरबा को सौंपता है एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति पाली, जिला-कोरबा को निम्नलिखित पदों की निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-


क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	-	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2	व्याख्याता हिन्दी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
3	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
4	व्याख्याता अंग्रेजी	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
5	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
6	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
7	व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
8	व्याख्याता भौतिक(अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
9	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
10	व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	2	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
11	प्रधान पाठक पू.मा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
12	प्रधान पाठक प्राथ.शा. (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
13	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
14	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
15	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
16	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
17	कम्प्यूटर शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन

18	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
19	सहायक ग्रेड 02	1	25300	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
20	सहायक ग्रेड 03	1	19500	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
21	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
22	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन
23	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2	कलेक्टर दर संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त हो रहा थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(ए.आ.खान)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 24/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन रायपुर।
2. निज सचिव, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर।
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकरनगर रायपुर।
7. समस्त कलेक्टर.....छ0ग0।
8. समस्त संयुक्त संचालक शिक्ष संभाग/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0।
9. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली, जिला कोरबा एवं उत्कृष्ट विद्यालय समिति पाली, जिला-कोरबा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग